पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

संबद्ध पक्षकार लेन-देन संबंधी नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 और यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) अधिनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के अनुसार संबद्ध पक्षकार लेन-देन के संबंध में नीति बनाई गई है।

अनुप्रयोज्यता

यह नीति पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफ़सी) और इसके संबद्ध पक्षकारों के बीच संबद्ध पक्षकार लेन-देन के लिए लागू होगी।

परिभाषाएं

(क) **"स्वतंत्र संव्यवहार"** (Arm's Length Transactions) से ऐसा लेन-देन अभिप्राय है जो ऐसे पक्षकारों के बीच इस प्रकार किया जाए जैसे वे परस्पर संबंधित न हों और जिससे हितों का विवाद न हो।

(ख) **"निदेशक मंडल"** या "बोर्ड" से अभिप्राय कंपनी के निदेशकों की सामूहित संस्था से है।

(ग) **"कंपनी"** से अभिप्राय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से है।

(घ) **संबद्ध पक्षकार के साथ मैटीरियल लेन-देन:** संबद्ध पक्षकार के साथ लेन-देन को उसी स्थिति में मैटीरियल माना जाएगा जब किसी वित्तीय वर्ष में व्यक्तिगत तौर पर या पहले किए गए लेन-देन को शामिल कर किया गया लेन-देन कंपनी के नवीनतम उपलब्ध समेकित वार्षिक अंकेक्षित विवरणों के अनुसार उसका वार्षिक समेकित टर्न ओवर के दस प्रतिशत से अधिक है।

इसके अतिरिक्त, ऐसा लेन-देन जिसमें ब्रांड यूसेज या रॉयल्टी के संबंध में संबद्ध पक्षकार को किया गया भुगतान महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि व्यक्तिगत तौर पर या पहले किए गए लेन-देन को शामिल किया गया लेन-देन कंपनी के नवीनतम उपलब्ध समेकित वार्षिक अंकेक्षित विवरणों के अनुसार उसका वार्षिक समेकित टर्नओवर के दो प्रतिशत से अधिक है।

(ड़) **"सरकारी कंपनी"** से अभिप्राय ऐसे कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथापरिभाषित है।

(च) **"नीति"** से अभिप्राय कंपनी की संबद्ध पक्षकार लेन-देन नीति से है।

(छ) **"संबद्ध पक्षकार"** से ऐसे व्यक्ति या संस्था से अभिप्राय है:

(क) जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के अंतर्गत संबद्ध पक्षकार है; या
(ख) जो लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत संबद्ध पक्षकार है।

(ग) सूचीबद्ध संस्था के प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप से संबंधित हो और सूचीबद्ध संस्था में 20% या उससे अधिक शेयरधारित है।

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (76) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, किसी कंपनी के संदर्भ में संबद्ध पक्षकार को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

(i) कोई निदेशक या उसका संबंधी;

(ii) कोई प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उसका संबंधी;

(iii) ऐसी कोई कंपनी जिसमें कोई निदेशक, प्रबंधक या उसका संबंधी एक भागीदार है;

(iv) ऐसी कोई निजी कंपनी, जिसमें एक निदेशक या प्रबंधक या उसका संबंधी एक सदस्य या निदेशक है;

(v) ऐसी कोई सार्वजनिक कंपनी जिसमें एक निदेशक या प्रबंधक, एक निदेशक है और अपने संबंधी सहित, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में दो प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है;

(vi) ऐसी कोई कॉर्पोरेट एंटीटी जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध-निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक की सलाह, निर्देश या अनुदेश के अनुसार कार्य करने का आदि/ बाध्य है;

(vii) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या अनुदेश पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का आदि/ बाध्य है;

बशर्ते की उप-खंड (vi) और (vii) में उल्लिखित कोई भी बात व्यावसायिक क्षमता/ तौर पर दी गई सलाह, निर्देशों या अनुदेशों पर लागू नहीं होगी;

(viii) कोई कॉर्पोरेट संस्था जो-

(क) ऐसी कंपनी की धारक, सहायक या एसोसिएट कंपनी है; या
(ख) किसी धारक कंपनी की सहायक कंपनी है, जिसकी सहायक कंपनी यह भी है; या
(ग) निवेशक कंपनी या कंपनी का उद्यम

स्पष्टीकरण: निवेशक कंपनी अथवा कंपनी के उद्यम से ऐसी कॉर्पोरेट संस्था से अभिप्राय है जिसके कंपनी में निवेश करने से कंपनी, कॉर्पोरेट संस्था की एसोसिएट कंपनी बन सकती है।

(ix) यथानिर्धारित कोई अन्य व्यक्ति।

(ख) लागू भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी) 24 के अंतर्गत संबद्ध पक्षकार निम्नानुसार है:

कोई संबंधित पक्षकार कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था होता है जो ऐसी संस्था से संबंधित है जो इसके वित्तीय विवरण तैयार कर रही हो (यहां मानक को 'रिपोर्टिंग संस्था' के रूप में माना गया है।)

(क) कोई व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार का घनिष्ठ सदस्य, रिपोर्टिंग संस्था से संबंधित है यदि उस व्यक्ति के पास:

(I) रिपोर्टिंग संस्था का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है;

(ii) रिपोर्टिंग संस्था पर उल्लेखनीय प्रभाव है; या

(iii) मूल रिपोर्टिंग संस्था या रिपोर्टिंग संस्था के प्रमुख प्रबंधकीय विभाग का सदस्य है।

(ख) कोई संस्था, रिपोर्टिंग संस्था से संबंधित है यदि निम्नलिखित में से कोई शर्त लागू होती है:

(i) संस्था और रिपोर्टिंग संस्था एक ही समूह के सदस्य हैं (जिसका अर्थ है कि प्रत्येक मूल संस्था, सहायक कंपनी और साथी सहायक कंपनी एक दूसरे से संबंधित हैं)

(ii) एक संस्था, दूसरी संस्था की एसोसिएट संस्था या संयुक्त उद्यम है (या किसी ऐसे समूह के सदस्य की एसोसिएट संस्था या संयुक्त उद्यम है जिसकी दूसरी संस्था सदस्य है)

(iii) दोनों संस्थाएं एक ही तृतीय पक्षकार की संयुक्त उद्यम हैं;

(iv) एक संस्था, तृतीय संस्था की संयुक्त उद्यम है तथा दूसरी संस्था, तृतीय पक्षकार की एसोसिएट संस्था है।

(v) रिपोर्टिंग संस्था या रिपोटिंग संस्था से संबंधित संस्था के कार्मिकों के हितलाभ के लिए यह संस्था रोजगार-पश्चात हितलाभ योजना है। यदि रिपोर्ट करने वाली संस्था स्वयं ही ऐसी कोई योजना है तो प्रायोजक कार्मिक भी रिपोर्ट करने वाली संस्था से संबंधित हैं।

(vi) (क) में चिह्नित व्यक्ति द्वारा संस्था का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण किया जाता है।

(vii) (क) (i) में चिह्नित व्यक्ति का संस्था पर उल्लेखनीय प्रभाव है या संस्था के प्रमुख प्रबंधकीय विभाग (या संस्था की मूल संस्था) का सदस्य हो।

(viii) संस्था या समूह का कोई सदस्य जिसका वह भाग है, रिपोर्टिंग संस्था या रिपोर्टिंग संस्था की मूल संस्था को प्रमुख प्रबंधन कार्मिक सेवाएं प्रदान करता है।

नोट : (i) अधिक विवरण के लिए इंड एएस- 24 'संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण" को संदर्भ में लिया जा सकता है।

(ii) इस संबंध में बाद में जारी किया गया कोई आशोधन / घोषणा / लेखांकन मानक/ इस संबंध में जारी की गई व्याख्या को माना जाएगा और संदर्भ में लिया जा सकता है।

(iii) उक्त इंड एएस- 24 के अंतर्गत अनुपालन की आवश्यकता, इस नीति के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है।

(ज) **"संबद्ध पक्षकार लेन-देन" (आरपीटी):** यह किसी कंपनी या एक संबद्ध पक्षकार के बीच संसाधनों, सेवाओं अथवा दायित्वों का हस्तांतरण है, भले ही उस पर कीमत चार्ज की जा रही हो और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध पक्षकार के साथ सभी संविदाएं या प्रबंध शामिल होते हैं:

क) किसी सामान या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति;
ख) किसी भी प्रकार की संपत्ति की बिक्री या अन्यथा उसका निपटान या खरीद;
ग) किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना;
घ) किसी प्रकार की सेवा प्राप्त करना या देना;
ड़) सामान, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीदारी या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति
च) ऐसे संबद्ध पक्षकार की कंपनी या इसकी किसी सहायक या एसोसिएट कंपनी में किसी पद या लाभ के पद (Office of Profit) पर नियुक्ति; और
छ) कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों या डेरिवेटिव में सदस्यता की हामीदारी करना।

(झ) किसी व्यक्ति के संबंध में संबंधी का अर्थ किसी एक व्यक्ति से है जो एक दूसरे से संबंधित हो, यदि-

(i) वे हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं:
(ii) वे पति और पत्नी हैं; या
(iii) एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ निम्नलिखित रूप से संबंधित है;
    (क) पिता (सौतेले पिता सहित)
    (ख) माता (सौतेली माँ सहित)
    (ग) पुत्र (सौतेले पुत्र सहित)
    (घ) पुत्र की पत्नी
    (ड़) पुत्री
    (च) पुत्री का पति
    (छ) भाई (सौतेले भाई सहित)
    (ज) बहन (सौतेली बहन सहित)

ञ) **"लेन-देन"**: संविदा में एक लेन-देन अथवा कई लेन-देन का शामिल होना संबद्ध पक्षकार के साथ लेन-देन माना जाएगा।

इस नीति में प्रयुक्त सभी शब्द और अभिव्यक्तियों का अर्थ (जब तक यहां परिभाषित न की जाएं) वही होगा जो उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत जारी नियमों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों में, सूचीबद्धता विनियमों और समय-समय पर यथासंशोधित लागू लेखांकन मानक(मानकों) में दिया गया है।

संबद्ध पक्षकार लेन-देन का अनुमोदन

लेखा परीक्षा समिति

सभी संबद्ध पक्षकार लेन-देन (बाद में किए गए किसी आशोधन सहित) के लिए लेखा परीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है।

तथापि, लेखा परीक्षा समिति के अनुमोदन की आवश्यकता तब नहीं होगी, यदि लेन-देन, धारक कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) के बीच होता है जिसकी लेखाएं धारक कंपनी के पास समेकित की जाती हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखी जाती हैं और जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में संदर्भित लेन-देन से अलग हैं।

लेखा परीक्षा समिति, बहुउद्देशीय अनुमोदन की आवश्यकता और इस बात के प्रति संतुष्ट होकर कि ऐसा अनुमोदन कंपनी के हित में है, संबद्ध पक्षकार के लेन-देन (जो बार-बार किया जाता है) के लिए कार्य के सामान्य प्रक्रिया में या स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर बहुउद्देशीय अनुमोदन प्रदान कर सकती है।

बहुउद्देशीय अनुमोदन, अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध नहीं होगा और उक्त एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर नए तरीके से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
अनुमोदन में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा:
क) संबद्ध पक्षकार का नाम
ख) लेन-देन की प्रकृति
ग) लेन-देन की अवधि
घ) किए जाने वाले लेन-देन की अधिकतम राशि
ड़) सांकेतिक आधार मूल्य / वर्तमान संविदात्मक मूल्य तथा मूल्य में अंतर का फॉर्मूला, यदि कोई हो
च) कोई अन्य शर्त जिसे लेखा-परीक्षा समिति उचित समझे

बशर्ते कि जहां संबद्ध पक्षकार लेन-देन की आवश्यकता का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता तथा उपरोक्त (क) से (ड़) तक पूरे ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, लेखा परीक्षा समिति ऐसे लेन-देन के लिए बहुउद्देशीय अनुमोदन प्रदान कर सकती है बशर्ते कि उनका मूल्य प्रति लेन-देन एक करोड़ रुपए से अधिक न हो।

लेखा परीक्षा समिति, दिए गए प्रत्येक बहुउद्देशीय अनुमोदन के बाद कंपनी द्वारा संबद्ध पक्षकार लेन-देन के विवरणों की कम से कम तिमाही आधार पर समीक्षा करेगी।

धारा 188 में उल्लिखित लेनदेन को छोड़कर अन्य लेन-देन के मामले में तथा जहां लेखा-परीक्षा समिति ने लेन-देन को अनुमोदन नहीं दिया, वहां यह अपनी सिफारिशें बोर्ड से करेगी।

<u>निदेशक मंडल</u>

(क) व्यापार के सामान्य प्रक्रिया में और स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर किए गए लेन-देन को छोडकर सभी संबंधित पक्षकार लेन-देन को एक विधिवत रूप से बुलाई गई बैठक में निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) धारा 188 में उल्लिखित लेन-देन को छोड़कर सभी लेन-देन तथा जिन मामलों में लेखा परीक्षा समिति लेन-देन को अनुमोदन नहीं प्रदान करती, वहां यह अपनी सिफारिशें बोर्ड को करेगी।

(ग) ऐसे संबद्ध पक्षकार लेन-देन (जिसके लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी) को विधिवत रूप से बुलाई गई बैठक में बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे।

बोर्ड बैठक की कार्य-सूची (जिसके लिए, आरटीपी के अनुमोदन की आवश्यकता हो) में निम्नलिखित का प्रकटीकरण किया जाएगा:
(क) संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति;
(ख) संविदा की प्रकृति, अवधि तथा संविदा या प्रबंध के विवरण;
(ग) मूल्य (यदि कोई हो) सहित संविदा की महत्वपूर्ण शर्तें या प्रबंध;
(घ) संविदा या प्रबंध के लिए भुगतान किया गया या प्राप्त किया गया कोई अग्रिम, यदि कोई हो;
(ड़) मूल्य निर्धारण और अन्य वाणिज्यिक शर्तों को निर्धारित करने की रीति, दोनों को संविदा के भाग के रूप में शामिल किया गया हो और संविदा का भाग न समझा गया हो;
(च) संविदा के लिए उपयुक्त सभी कारकों पर विचार किया गया है, यदि नहीं, तो कारकों पर विचार न किए जाने का ब्यौरा तथा उन कारकों पर विचार न किए जाने का औचित्य; और
(छ) प्रस्तावित लेन-देन के संबंध में निर्णय लेने के लिए बोर्ड के लिए उपयुक्त या महत्त्वपूर्ण कोई अन्य सूचना।

शेयरधारक

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उनकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 15 (3) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित सीमाओं के अतिरिक्त सभी मैटीरियल संबद्ध पक्षकार लेन-देन और संबद्ध पक्षकार लेन-देन बोर्ड की सिफ़ारिशों के साथ, एक सामान्य संकल्प के माध्यम से पूर्व-अनुमोदन के लिए पीएफ़सी शेयरधारकों को प्रस्तुत किया जाएगा।

क	प्रत्यक्ष रूप से या एजेंट की नियुक्ति की माध्यम से किसी सामान या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति;	कंपनी के टर्नओवर के दस प्रतिशत या इससे अधिक या सौ करोड़ रुपए जो भी कम हो
ख	प्रत्यक्ष रूप से या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार की सामग्री की बिक्री या अन्यथा निपटान या खरीदारी;	कंपनी की निवल वर्थ के दस प्रतिशत या इससे अधिक या सौ करोड़ रुपए जो भी कम हो
ग	किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना;	कंपनी की निवल वर्थ के दस प्रतिशत या अधिक या कंपनी के कारोबार का दस प्रतिशत या सौ करोड़ रुपए जो भी कम हो
घ	प्रत्यक्ष रूप से या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करना या देना;	कंपनी के कारोबार के दस प्रतिशत या इससे अधिक या पचास करोड़ रुपए जो भी कम हो
(ये सीमाएं व्यक्तिगत तौर पर किए जाने वाले लेन-देन अथवा लेनदेनों या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेनों के साथ एक साथ किए गए लेनदेनों हेतु लागू होंगी)		
ड़	ऐसे संबद्ध पक्षकार की कंपनी में, इसकी सहायक कंपनी या एसोसिएट कंपनी में किसी पद या लाभ के पद पर नियुक्ति	2.5 लाख रुपए अधिक मासिक पारिश्रमिक
च	कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों या डेरिवेटिव की सदस्यता की हामीदारी	कंपनी के निवल मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक

(टर्नओवर या निवल पूंजी की संगणना, कंपनी के नवीनतम उपलब्ध वार्षिक अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर की जाएगी)

तथापि, यदि निम्नलिखित के बीच लेन-देन किया जाता है तो शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा:

(i) धारक कंपनी और इसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी जिसके लेखे ऐसी धारक कंपनी के साथ समेकित किए जाते हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे जाते हैं;

(ii) दो सरकारी कंपनियां;

किसी आम बैठक की नोटिस के साथ संलग्न किए जाने वाले व्याख्यात्मक विवरण, जिसके लिए शेयरहोल्डरों से आरपीटी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

क) संबद्ध पक्षकार का नाम;

ख) संबंधित निदेशक या प्रमुख प्रबंधन विभाग, यदि कोई हो, का नाम

ग) संबंध की प्रकृति

घ) संविदा या प्रबंध की प्रकृति, महत्वपूर्ण शर्तें, मौद्रिक मूल्य और संविदा या प्रबंध के विवरण;

ड़) कोई अन्य सूचना जो प्रस्तावित प्रस्ताव पर निर्णय लेने की दृष्टि से सदस्यों के लिए उपयुक्त और महत्वपूर्ण हो।

संस्था विशिष्ट लेनदेन की पक्षकार है या नहीं, इस बात को ध्यान दिए बिना, संबद्ध पक्षकारों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं उपयुक्त लेन-देन के अनुमोदन हेतु वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगी। ।

प्रकटीकरण

संबंधित यूनिटें, तिमाही के दौरान किए गए सभी संबद्ध पक्षकार लेन-देन का सारांश तिमाही आधार पर तैयार करेंगी और प्राप्त की गई अपेक्षित अनुमोदन की प्रति सहित प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के सात दिन के भीतर कंपनी सचिव को प्रस्तुत करेंगी।

कंपनी अधिनियम और सूचीबद्धता विनियम के अंतर्गत अपेक्षित संबद्ध पक्षकार लेन-देन से संबंधित सभी प्रकटीकरण तदनुसार किए जाएंगे।

सीमा

इस नीति और सूचीबद्धता/ कंपनी अधिनियम 2013 अथवा किसी अन्य सांविधिक अधिनियमों, नियमों के बीच किसी भी विरोधाभास के मामले में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान और उसके अधीन बनाए गए नियम/ सूचीबद्धता विनियम या अन्य सांविधिक अधिनियम, नियम, जैसा भी मामला हो, इस नीति पर मान्य होंगे और सभी संबंधित पक्षकारों द्वारा तदनुसार उनका पालन किया जाएगा।।

नीति की समीक्षा

कम से कम तीन वर्ष में एक बार निदेशक मंडल द्वारा इस नीति की समीक्षा की जा सकती है और विनियमों में परिवर्तन (यदि कोई हो) के कारण या उचित समझे जाने पर इसे अद्यतन किया जा सकता है।